

669

अत्यावश्यक
पंचायत आम चुनाव, 2016



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

email

पत्र संख्या-प0 नि0 30-40/2015- 2913

प्रेषक,

दुर्गेश नन्दन,
सचिव।

विश्वामाजिन

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),



विषय :- पंचायत आम निर्वाचन 2016 : मतगणना के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रत्येक जिले में पंचायत आम निर्वाचन 2016 के अंतिम चरण के तीसरे दिन सुबह 8.00 बजे से मतों की गणना आरंभ की जायेगी एवं संध्या 6.00 बजे तक ही मतों की गणना की जायेगी, किन्तु अगर किसी मतदान केन्द्र की मतपेटिकाओं को खोल दिया गया है तो उस मतदान केन्द्र की मतगणना की समाप्ति के पश्चात ही मतगणना कार्य बंद किया जायेगा। निर्वाची पदाधिकारी इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी मतदान केन्द्र की मतपेटिकाओं को गणना हेतु ऐसे समय खोला जाय जिससे कि मतगणना कार्य यथासंभव संध्या 6.00 बजे तक समाप्त हो जाय। किसी भी स्थिति में रात्रि में मतगणना नहीं की जायेगी।

2. मतगणना की अवधि में प्रत्येक दिन संध्या 6.00 बजे बज्रगृह को विहित प्रक्रिया से अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता/मतगणना अभिकर्ता की उपस्थिति में सील कर दिया जायेगा एवं दूसरे दिन निर्धारित समय पर अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता/मतगणना अभिकर्ता की उपस्थिति में बज्रगृह को खोला जायेगा। निर्धारित समय प्रातः 8.00 बजे अगर कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता अनुपस्थित रहता है तो इसके लिये उसका इंतजार नहीं किया जायेगा बल्कि बज्रगृह खोलकर आगे की कार्रवाई की जायेगी।

3. अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाय एवं इसकी सूचना से सभी गणना प्रेक्षक, सभी निर्वाची पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी को अपने स्तर से अवगत कराने की कृपा की जाय।

छापाई:- 695 / पं. वि. नं. 19/04/16 विश्वामाजिन,
प्रतिष्ठित:- सभी जिलों के जिला पदाधिकारी/सचिवों को
पठाए/होने निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव-SPD/B.DD/L.O के
सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिष्ठित:- प्रेक्षक, गणना एवं सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिष्ठित:- जिला सूचना विभाग पदाधिकारी के सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पंचायत सेवा पदाधिकारी
18/04/16